Website : www.highwaychannel.in

छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्रसारित शाम का अखबार

हाईवे चैनल

वर्ष- 28 अंक- 351 रायपुर, गुरुवार 15 जनवरी 2026 पृष्ठ-8 मूल्य- 2.50 रुपया • रायपुर • जगदलपुर से प्रकाशित RNI रजिस्ट्रेशन नं. 68139/98

अश्लील डांस मामले में डांसर गिरफ्तार

गरियाबंद, 15 जनवरी (हाईवे चैनल)। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के उरमाल गांव में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान हुए अश्लील डांस के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। देवभोग पुलिस ने इस प्रकरण में ओडिशा की रहने वाली एक डांसर डांसर सुचित्रा जेना को गिरफ्तार किया है। आरोपी को ओडिशा के जाजपुर जिले से तकनीकी साक्ष्यों और लोकेशन के आधार पर पकड़ा गया। दूसरी डांसर निशा महाराणा की तलाश जारी है, जिसने प्रचार वीडियो जारी किया था।

पुलिस जांच में सामने आया कि संबंधित डांसर ने कार्यक्रम से पहले लोगों की भीड़ जुटाने के लिए आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया था। वीडियो के वायरल होते ही स्थानीय स्तर पर विरोध शुरू हो गया और मामले की शिकायत पुलिस तक पहुंची। इसके बाद देवभोग पुलिस ने संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की थी। इस पूरे मामले ने तब और तूल पकड़ लिया जब सामने आया कि कार्यक्रम के दौरान अश्लील डांस एसडीएम की मौजूदगी में किया गया। आरोप है कि ऑर्केस्ट्रा की डांसर्स ने मंच पर आपत्तिजनक तरीके से नृत्य किया। कार्यक्रम में मौजूद एसडीएम तुलसी दास मरकाम और कुछ पुलिसकर्मी पैसे लुटाते और वीडियो बनाते नजर आए।

एसडीएम पर गिरी गाज

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया। गरियाबंद कलेक्टर भगवान सिंह उइके ने तत्काल कार्रवाई करते हुए एसडीएम तुलसी दास मरकाम को पद से हटा दिया। साथ ही पूरे मामले की जांच के लिए कमेटी गठित की गई। आयोजन समिति के 14 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एसडीएम के खिलाफ औपचारिक जांच आज से शुरू हो गई है। गरियाबंद के बाद छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में भी इसी तरह का मामला सामने आ चुका है। यहां फॉरेस्ट विभाग के रेस्ट हाउस में अश्लील डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वीडियो के आधार पर सरगुजा के चीफ कंजर्वेटिव ऑफ फॉरेस्ट दिलराज प्रभाकर ने डिप्टी रेंजर और फॉरेस्टर को सस्पेंड कर दिया था। इसके अलावा तत्कालीन रेंजर को नोटिस जारी किया गया और डीएफओ ने सूरजपुर एसपी को पत्र लिखकर वीडियो में नजर आ रहे लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की थी। वायरल वीडियो रामानुजनगर ब्लॉक के कुमेली रेस्ट हाउस का बताया गया था।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सिविल जज और उच्च न्यायिक सेवा के सदस्यों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के आदेश किए जारी

बिलासपुर, 15 जनवरी (हाईवे चैनल)। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सिविल जज (जूनियर डिविजन) और उच्च न्यायिक सेवा के सदस्यों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के तहत विभिन्न जिलों में पदस्थ न्यायाधीशों को नए जिले में स्थानांतरित किया गया है और उन्हें उनके नए पदों पर तैनाती की तारीख से कार्यभार संभालने का निर्देश दिया गया है। सिविल जज (जूनियर डिविजन) के ट्रांसफर आदेश में कुल 10 सिविल जज शामिल हैं। खुशबू जैन, जो पहले महासमुंद में तैनात थीं, उन्हें गरियाबंद स्थानांतरित किया गया है। इसी तरह, प्रणव वैद्य, वर्तमान में धमतरी में तैनात, को बिलासपुर में पोस्ट किया गया है। इसके अलावा, कई अन्य न्यायाधीशों को उनके नए जिले और न्यायालय में तैनात किया गया है। इन ट्रांसफरों का उद्देश्य न्यायिक कार्यों में प्रभावी वितरण सुनिश्चित करना और प्रत्येक जिले में न्यायिक कार्यवाही का सुचारू संचालन सुनिश्चित करना बताया गया है। संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे तैनाती की तारीख से अपने नए कार्यालयों में जिम्मेदारी संभालें। हाई कोर्ट ने उच्च न्यायिक सेवा के सदस्यों की तैनाती और स्थानांतरण के आदेश भी जारी किए हैं। दुर्ग जिले में तैनात रश्मि नेतम को धमतरी में पोस्ट किया गया है। इसी तरह मनेन्द्रगढ़ में तैनात श्रुति दुबे को बिलासपुर स्थानांतरित किया गया है।

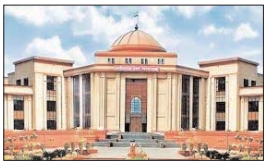

इसके साथ ही कुछ न्यायाधीशों को एडिशनल सेशंस जज के रूप में तैनात किया गया है, ताकि सेशंस डिविजन के न्यायिक कार्य सुचारू रूप से चल सकें। हाई कोर्ट ने आदेश में स्पष्ट किया है कि संबंधित न्यायाधीश तैनाती की तारीख से अपने नए पद का कार्यभार संभालेंगे। सभी संबंधित अधिकारियों और निजी सचिवों को आदेश की सूचना भेजी गई है, ताकि उन्हें अपने-अपने क्षेत्रों में आवश्यक प्रशासनिक जानकारी मिल सके। हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल, राजनीश श्रीवास्तव, द्वारा जारी आदेशों में यह भी उल्लेख है कि यह कदम न्यायिक कार्यों के प्रभावी संचालन और अधिकारियों के कर्तव्यों में अनुशासन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। इन आदेशों के अनुसार, बिलासपुर, रायपुर, कोरबा, सरगांव, धमतरी और अन्य जिलों में न्यायिक कार्यों का भार संतुलित किया जाएगा, जिससे न्यायपालिका की कार्यप्रणाली में सुधार होगा और नागरिकों को न्याय मिलने में तेजी आएगी।

सिरमौर अग्निकांड : माघी पर्व के लिए मायके आई दो बेटियां तीन बच्चों सहित जिंदा जलीं, एक दामाद की भी गई जान

नई दिल्ली, 15 जनवरी (न्यूज चैनल)। हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के नौहराधार की घंडूरी पंचायत के तलांगना में देर रात हुए भीषण अग्निकांड ने छह लोगों का जीवन छीन लिया है। इस दर्दनाक हादसे में घर के अंदर सो रहे तीन बच्चों सहित छह लोग जिंदा जल गए हैं। माघी पर्व मनाने के लिए मायके आई दो बेटियों को क्या पता था कि उनका व उनके परिवार का यह अंतिम त्योहार होगा। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार अग्निकांड में विजय सिंह, भीम सिंह व मीन सिंह के घर जलकर राख हो गए। इंद्रा देवी पत्नी स्वर्गीय यशवंत सिंह का घर भी अग्निकांड में जल गया। इस दर्दनाक हादसे में माघी त्योहार मनाने के लिए मायके आईं इंद्रा की दो बेटियां, उनके तीन बच्चे और एक दामाद की भी जिंदा जलकर मौत हो गई। दूसरा दामाद लोकेंद्र(42) पुत्र जोगेंद्र सिंह निवासी गांव विजर अग्निकांड में घायल हुआ है जिसका सीएचसी नौहराधार में उपचार चल रहा है।

ब्रेकिंग न्यूज

झूला विवाद में युवक की चाकू मारकर हत्या, नाबालिग समेत 2 आरोपी गिरफ्तार

खैरागढ़, 15 जनवरी (हाईवे चैनल)। ग्राम पिपलाकछार में आयोजित मंडई मेले के दौरान हुए सनसनीखेज हत्या के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं, एक विधि से संघर्षरत बालक को पुलिस अभिरक्षा में लेकर किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया गया है.

पुलिस के अनुसार, घटना 13 जनवरी 2026 की है. प्रार्थी देशबंधु पटेल की रिपोर्ट पर दर्ज मामले में बताया गया कि ग्राम पिपलाकछार के बाजार चौक में मंडई मेला चल रहा था. इसी दौरान शाम करीब 7 बजे कुछ युवकों के बीच झूले में कूदने को लेकर विवाद शुरू हो गया. विवाद बढ़ता देख मोरध्वज पटेल (26) बीच-बचाव के लिए मौके पर पहुंचा, तभी आरोपी हेमचंद उर्फ हर्षू निषाद ने उस पर धारदार हथियार से प्राणघातक हमला कर दिया. हमले में गंभीर रूप से घायल मोरध्वज को पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खैरागढ़ ले जाया गया, जहां से उसकी गंभीर हालत को देखते हुए मेडिकल कॉलेज राजनांदगांव रेफर किया गया. इलाज के दौरान मोरध्वज की मौत हो गई. पुलिस विवेचना में सामने आया कि बीच-बचाव के दौरान मृतक की विधि से संघर्षरत बालक से भी कहासुनी हुई थी. इसी दौरान उसने भीड़ का फायदा उठाते हुए चाकू से पेट पर जानलेवा वार किया. मुखबिर की सूचना और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने 14 जनवरी को मुख्य आरोपी हेमचंद निषाद निवासी अमलीडीह खुर्द को गिरफ्तार कर लिया. साथ ही विधि से संघर्षरत बालक की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त चाकू भी बरामद किया गया है।

हमारे लोकतंत्र की बुनियाद ठोस : मोदी

नई दिल्ली, 15 जनवरी (न्यूज चैनल)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को नई दिल्ली के संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में 28वीं कॉमनवेल्थ स्पीकर्स एंड प्रेसिडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस, 2026 का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री का स्वागत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला, विदेश मंत्री एस. जयशंकर, और राज्यसभा के उपाध्यक्ष हरिवंश नारायण सिंह ने किया।

42 देशों के संसदीय पदाधिकारियों के सम्मेलन में बोले प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा की भारत की राष्ट्रपति देश की पहले नागरिक, एक महिला हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री भी महिला हैं। आज, भारतीय महिलाएं न केवल लोकतंत्र में भाग ले रही हैं बल्कि नेतृत्व भी कर रही हैं। आपमें से कई लोग भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र के रूप में जानते हैं। वास्तव में, हमारे लोकतंत्र का पैमाना असाधारण है। उदाहरण के तौर पर, 2024 में हुए भारत के आम चुनाव मानव इतिहास का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक अभ्यास थे। लगभग 98 करोड़ नागरिकों ने वोट के लिए पंजीकरण कराया। यह संख्या कुछ महाद्वीपों की जनसंख्या से भी अधिक है। चुनावों में 8,000 से अधिक उम्मीदवार और 700 से अधिक राजनीतिक पार्टियां भाग लीं। महिलाओं के मतदान में भी रिकॉर्ड भागीदारी देखी गई। उन्होंने कहा कि जिस स्थान पर आप सभी बैठे हैं वो भारत की डेमोक्रेटिक जर्नी का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। गुलामी के आखिरी वर्षों में जब भारत की आजादी तय हो चुकी थी, उस समय इसी सेंट्रल हॉल में भारत की संविधान की रचना के लिए संविधान सभा की बैठकें हुई थी। भारत की आजादी के बाद 75 वर्षों तक यह इमारत भारत की संसद रही और इसी हॉल में भारत के भविष्य से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण निर्णय और अनेक चर्चाएं हुईं। अब लोकतंत्र को समर्पित इस स्थान को भारत ने संविधान सदन का नाम दिया है।

सुप्रीम कोर्ट में ईडी का बड़ा आरोप- ममता बनर्जी ने पुलिस के साथ मिलकर चोरी किए, खुलासे के बाद मचा हड़कंप

नई दिल्ली, 15 जनवरी (न्यूज चैनल)। पश्चिम बंगाल में केंद्रीय एजेंसियों और राज्य सरकार के बीच जारी खींचतान अब देश की सबसे बड़ी अदालत की दहलीज पर है। श्वष्ठ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद छापेमारी वाली जगह पहुंचकर जांच में बाधा डाली और महत्वपूर्ण सबूतों को %जब्त% कर लिया।

आई-पीएसी रेड मामला

सुप्रीम कोर्ट में ईडी का पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चौंकाने वाले दावे किए। उन्होंने अदालत को बताया कि 8 जनवरी को जब ईडी की टीम आई-पैक के निदेशक प्रतीक जैन के आवास और दफ्तर पर कोयला घोटाले से जुड़ी छापेमारी कर रही थी, तब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां पहुंच गईं। आरोप है कि उन्होंने राज्य पुलिस बल का इस्तेमाल कर जांच अधिकारियों के लैपटॉप, मोबाइल फोन और अहम दस्तावेज जबरन छीन लिए। ईडी ने इसे आधिकारिक तौर पर साक्ष्यों की चोरी करार दिया है। ईडी ने अपनी दलील में कहा कि राज्य की मशीनरी का इस्तेमाल केंद्रीय एजेंसियों को रोकने के लिए एक पैटर्न की तरह किया जा रहा है। जांच एजेंसी ने अदालत से मांग की है कि पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार और कोलकाता पुलिस कमिश्नर मनोज कुमार वर्मा को तुरंत निलंबित किया जाए। इन अधिकारियों के खिलाफ जांच में बाधा डालने और साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने के आरोप में स्न्नङ्क दर्ज हो। दूसरी ओर ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में केविएट दाखिल की है, ताकि उनका पक्ष सुने बिना कोई एकतरफा आदेश पारित न हो। मुख्यमंत्री का कहना है कि ईडी उनकी पार्टी की चुनावी रणनीतियों और डेटा को चुराने की कोशिश कर रही थी, जिसे रोकना उनका अधिकार है।

40 फीट गहरी खाई में गिरी तेज रफ्तार कार, दो युवक जिंदा जले

बिलासपुर, 15 जनवरी (हाईवे चैनल)। एक ईको वाहन में टेंट का सामान लेकर बिलासपुर से दो युवक देर रात को विश्रामपुर तातापानी के लिए रवाना हुए थे कि तड़के वाहन अनियंत्रित हो गई और लगभग 40 फीट गहरी खाई में जा गिरी। हादसे के होते ही एक वाहन में आग लग गई। वाहन में सवार दोनों युवक जलकर राख हो गए। हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम व दमकल की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया गया। कार में लगी आग इतनी तेज थी कि कार में सवार दोनों युवक जलकर राख हो चुकी थी। मामले में पुलिस ने वैधानिक कार्रवाई कर जांच में जुट गई है।

जानकारी के अनुसार बिलासपुर तोरवा निवासी गोपाल चंद्र डे 42 वर्ष पिता मानिक चंद्र डे एवं देवरीखर्दु तोरवा निवासी अरुण सेन 36 वर्ष पिता बनारसी लाल सेन मंगलवार की रात लगभग 11 बजे अपने ईको वाहन क्रमांक सीजी 10 बीएफ 1673 में सवार होकर टेंट का सामान व रूम हीटर लेकर बिलासपुर से विश्रामपुर स्थित तातापानी महोत्सव में शामिल होने के लिए निकले थे। इसी दौरान सुबह लगभग 4.30 बजे मोरगा चौकी क्षेत्र अंतर्गत मदनपुर फॉरेस्ट बेरियर के समीप पहुंचे थे कि उनकी तेज रफ्तार ईको वाहन सीधे 40 फीट नीचे खाई में जा गिरी और वाहन में आग लग गई। जब तक पुलिस को हादसे की सूचना मिली और दमकल की टीम मौके पर पहुंची तब तक दोनों युवक पूरी तरह से जल चुका था। घटना की सूचना मिलते ही मोरगा पुलिस मौके पर पहुंची।

बिना टिकट पकड़े जाने पर बवाल- तिरुवनंतपुरम-सीएसएमटी एक्सप्रेस में सीनियर टीटीई पर हमला, चलती ट्रेन से फेंकने की धमकी, 5 हिरासत में

नई दिल्ली, 15 जनवरी (न्यूज चैनल)। रेलवे स्टेशन के पास तिरुवनंतपुरम-सीएसएमटी एक्सप्रेस में 11 जनवरी को उस वक्त हंगामा मच गया जब सीनियर टीटीई श्यामू कछ्ठ राठौड़ और उनके सहयोगी अवनेश कुमार पर बिना टिकट यात्रियों ने हमला कर दिया;

जानकारी के अनुसार टिकट चेकिंग के दौरान वॉशरूम के पास 15-20 यात्रियों की भीड़ मिली, जिनमें से कई के पास टिकट नहीं था और जुर्माना भरने को कहने पर पांच लोगों ने राठौड़ के साथ मारपीट की और चलती ट्रेन से फेंकने की धमकी दी, बीच-बचाव करने आए सहयोगी को भी थप्पड़ मारा गया, जिसके बाद ट्रेन के कल्याण स्टेशन पहुंचते ही जीआरपी और आरपीएफ ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी पांच आरोपियों को हिरासत में ले लिया; पुलिस के अनुसार सभी आरोपी मुंबई के वर्ली इलाके के निवासी हैं और उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 121(1) और 132 समेत अन्य प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है, घटना ने एक बार फिर रेलवे कर्मचारियों की सुरक्षा और ट्रेनों में बढ़ती बदसलूकी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

धान की अफरा तफरी के मामले में बड़ी कार्रवाई, 6.86 करोड़ का धान जब्त, राईस मिल को किया गया सील

बिलासपुर, 15 जनवरी (हाईवे चैनल)। जिले में गठित प्रशासनिक जांच दल द्वारा संयुक्त रूप से विकासखण्ड बिल्हा के ग्राम केसला में संचालित कटस्म मिलिंग हेतु पंजीकृत राईस मिल गायत्री फूड प्रोडक्ट की जांच की गई। इस दौरान धान की अफरा तफरी उजागर होने पर पूरे स्टॉक को जब्त करते हुए राइस मिल को सील कर दिया गया है। दरअसल राईस मिलर द्वारा वर्तमान खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में 25300 क्विंटल धान का उठाव किया गया है। मगर के समय मिल का भौतिक सत्यापन करने पर 22148 क्विंटल धान ही उपलब्ध पाया गया। इस प्रकार राईस मिलर द्वारा समिति से उठाव किये गये 3152 क्विंटल धान मिल परिसर में उपलब्ध नहीं पाया गया। मिल संचालक आयुष अग्रवाल का उपरोक्त कृत्य छत्तीसगढ़ चावल उपार्जन आदेश 2016 का उल्लंघन है।

उपरोक्तानुसार अनियमितता पाये जाने एवं धान की रिसायकलिंग की आशंका को मद्देनजर भौतिक रूप से प्राप्त समस्त धान के स्टॉक 22148 क्विंटल को जब्त किया गया तथा राईस मिल गायत्री फूड प्रोडक्ट को सील कर दिया गया।

जप्तशुदा धान की कीमत 6 करोड़ 86 लाख 58 हजार 800 रूपये है। संयुक्त जांच टीम में जिले के सहायक खाद्य अधिकारी अजय कुमार मौर्य, खाद्य निरीक्षक आशीष दिवान, श्याम वस्त्रकार और ललिता शर्मा शामिल थीं। गौरतलब है कि राज्य शासन के निर्देशानुसार खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में मिलर्स द्वारा जिले के समितियों से धान उठाव का कार्य किया जा रहा है। उपरोक्त कार्य की निगरानी हेतु शासन द्वारा आईसीसीसी कमाण्ड सेन्टर का गठन किया गया है। जिसके तहत धान उठाव के कार्य में लगे वाहनों को जीपीएस के माध्यम से ट्रैक किया जा रहा है। वाहन द्वारा समिति से धान उठाव करने के पश्चात् अधिक समय तक एक स्थान पर रूकने एवं वाहन की निर्धारित क्षमता से अधिक मात्रा में धान का परिवहन करने पर उपरोक्त की सूचना आईसीसीसी पोर्टल पर ऑनलाईन प्रदर्शित होने लगती है, जिसकी जांच जिला स्तर पर स्थानीय अधिकारियों द्वारा की जाती है। समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान के परिवहन एवं रख-रखाव में अनियमितता बरतने वाले मिलर्स के विरूद्ध इसी प्रकार जांच एवं कार्यवाही जारी रहेगी।

बिरादरी की बात

चूहा- सुनती हो, पीएम मोदी मकर संक्रांति में पतंगबाजी देख रहे थे।
चुहिया- हां जी, आसमान में उड़ने का अनुभव होता है।